केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में वैज्ञानिक

3692. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है और क्या उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : क केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में विभिन्न ग्रेडों में विज्ञानियों के 207 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 154 पद भर लिए गए हैं और 53 खाली पड़े हैं ।

इस संस्थान के कर्मचारियों की तरफ से निदेशक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । मुख्य रूप से ये निदेशक द्वारा कुछ कर्मचारियों के परेशान करने, उत्पीडित करने और उनके स्थानांतरण, निदेशक द्वारा अपनी महिला वैयक्तिक सहायक के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़न, प्रधान मंत्री राहत कोष के लिए एकत्रित धन का गबन तथा सामान्य नियमों और विनियमों का बिना पालन किये संस्थान में एक व्यक्ति की तकनीकी ग्रेड में एक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में थे। इस संस्थान के किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, यद्यपि कुछ विज्ञानियों के सेवा संबंधी मामलों के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रभागाध्यक्ष के 'रोटेशन' के लिए परिषद् द्वारा विकसित गाइड लाइंस के अन्तर्गत उनके 'रोटेशन' के मामले शामिल हैं ।

(ख) विज्ञानियों और अन्य कर्मचारियों के बीच असंतोष के कारणों का पता लगाने तथा यह जांच करने के लिए कि इस संस्थान का अनुसंधान कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित गाइड लाईंस और अनुसधान कार्यक्रमों के अनुसार किया जा रहा था, परिषद् ने इस संस्थान के कार्यकरण की जांच करने के लिए अपने दो उप महानिदेशकों को प्रतिनियुक्ति किया । उप महानिदेशक ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आरोपों की जांच की :—

(1) श्री अशोक कुमार शर्मा, इस संस्थान के कनिष्ठ तकनीकी सहायक का स्थानांतरण उनको परेशान करने के लिए शिलांग जलंधर को करना ।

(2) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहायक श्री हरिदास का उत्पीड़न ।

(3) श्रीमती कमलेश शर्मा, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक की भूतपूर्व वैयक्तिक सहायक श्रीमती कमलेश शर्मा की शिकायत उनके विरुद्ध अनैतिक व्यवहार के सम्बन्ध में ।

(4) सामान्य नियमों और विनियमों का पालन न करते हुए श्री अशोक कुमार नगाइच की नियुक्ति ।

(5) प्रधान मंत्री राहत कोष का गबन ।

उप महानिदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री हरिदास को परेशान करने के सम्बन्ध में आरोपों की जांच परिषद् द्वारा की गई । यह पाया गया कि आरोपों का कोई आधार नहीं था । श्रीमती कमलेश

शर्मा की शिकायतों के सम्बन्ध में, परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले ही एक जांच की जा चुकी है जिसमें यह पाया गया कि इसमें कोई अर्थ नहीं था। उप-महानिदेशकों ने महसूस किया था कि श्रीमती कमलेश शर्मा द्वारा आगे की जांच के लिए दिये गये तर्क समझ में आने वाले नहीं थे और इसलिए आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

निदेशक द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोष में से गबन के सम्बन्ध में शिकायत को सिद्ध नहीं किया जा सका।

श्री ए० के० नगाइच की नियुक्ति को अनियमित पाया गया क्योंकि वह सम्बन्धित भर्ती नियमों के कड़ाई के साथ पालन करते हुए नहीं की गई थीं। इस सम्बन्ध में निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को उपयुक्त परामर्श देने का प्रस्ताव है।

सम्बन्धित विज्ञानियों से उनके सेवा सम्बन्धी मामलों में प्राप्त अभिवेदनों पर उपयुक्त कार्यवाही की जा चुकी है जिनमें प्रभाग अध्यक्षों के 'रोटेशन' के लिए परिषद् द्वारा विकसित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत उनके 'रोटेशन' के मामले भी सम्मिलित हैं।

Relief Sought By DR. V. Kurien

3693. SHRI VIJAY KUMAR YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dr. V. Kurien continues to be Chairman of a number of institutions connected with the milk production/distribution;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether he has asked the Government to relieve him from some of these posts; and

(d) if so, the details thereof and Government's decisions thereon?

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). Dr. V. Kurien is Chairman of the following institutions with which Government are concerned:—

1. National Dairy Development Board.

2. Indian Dairy Corporation.

3. Management Committee of Delhi Milk Scheme.

4 Management Committee of Mother Dairy.

(c) and (d). Dr. Kurien requested Government to relieve him of the Chairmanship of the Management Committee of Delhi Milk Scheme and of Mother Dairy. It has been decided by the Government to accede to his request with effect from 31-3-81, in so far as the Delhi Milk Scheme is concerned.

Financial Aid to State Government for Procuring Foodgrain

3694. SHRI GADADHAR SAHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Governments which undertake procurement on their own are encouraged and provided with financial and credit facilities by the Central Government; and

(b) if so, the amount provided to the West Bengal Government for the purpose?

THE MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The State Governments directly approach the Reserve Bank of India for cash credit facilities for undertaking procurement. The Government of India recommend cases where such requests are received from the State Governments. In the case of Government of West Bengal, no specific request has been received by the Government of India during the current year.